जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर दिनॉक 20.09.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 44वें व 45वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को धारा 307/34 भादवि व 3/5/8 गोवध अधि0 में 05 वर्ष के कठोर कारावास व दोनो को कुल ₹6,43,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही: –

दिनांक 11.02.2023 को अभियुक्तगण 1.दानिश पुत्र मकसूद 2.गुलाम साबिर उर्फ इद्दी पुत्र महबूब 3.जहूर पुत्र मंसूर उर्फ भूरा 4.याकूब पुत्र मन्सूर उर्फ भूरा निवासीगण मोहल्ला मिर्दगान खस्सो, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना तथा गोवंश की हत्या करने आदि के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 115/23 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गोवध अधि0 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो अधि, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 115/23 धारा 307/34 भादवि व धारा 3/5/8 गोवध अधि0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्तगण 1.दानिश पुत्र मकसूद 2.गुलाम साबिर उर्फ इद्दी पुत्र महबूब निवासीगण मोहल्ला मिर्दगान खस्सो, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व दोनों अभियुक्तों को कुल 6,43,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट– उल्लेखनीय है कि अभियुक्त **दानिश पुत्र मकसूद उपरोक्त(हिस्ट्रीशीट सं0– 198ए) व गुलाम साबिर उर्फ इद्दी (हिस्ट्रीशीटर सं0– 86ए) थाना कोतवाली शहर के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है,** दोनों के विरूद्ध थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर पर अवैध शराब/गैंगस्टर एक्ट/गोवध अधि0/छेडछाड आदि धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता:–

1.दानिश पुत्र मकसूद निवासी मोहल्ला मिर्दगान खस्सो, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।**(हिस्ट्रीशीट सं0– 198ए)**

2.गुलाम साबिर उर्फ इद्दी पुत्र महबूब निवासी मोहल्ला मिर्दगान खस्सो, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।**(हिस्ट्रीशीटर सं0– 86ए)**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ दिनॉक 20.09.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 291/25 धारा 137(2)/64/318(4)/142 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.09.2025 को वादिया ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त सैफ अली पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर, वादी की पुत्री को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था तथा अभियुक्त व अभियुक्त के परिजन वादी की पुत्री पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उक्त संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 291/25 धारा 137(2)/318(4)/142 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64 बीएनएस, 3/4 पॉक्सो अधि0 व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सैफ अली पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. सैफ अली पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष सुमित राठी, थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 शिवम तायल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4.हे0का0 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
5.हे0का0 662 प्रशान्त चौहान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 20.09.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	कोतवाली देहात	अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मौहल्ला रहमुल्ला कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2.	कोतवाली देहात	अफसर पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मौहल्ला रहमुल्ला कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3.	शिवालाकलां	सुभाष सैनी पुत्र मनोहरी निवासी सेला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
4.	चांदपुर	कैलाश पुत्र भरतु निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

ाना शिवालाकलां (बिजनौ

Never
GIVE
UP!